

15-01-25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन वार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं है।

लिटाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैखी' व 'अदम हजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर

